सख्या-12/2016/108/71-आयुष-2-2016-06(बी)/ 2016

प्रेषक

श्याम प्रकाश नारायण
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ

आयुष अनुभाग 2 लखनऊ : दिनांक: 28 मार्च 2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1116-एच0/82/649, दिनॉक 13-01-2016 के सन्दर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश् संख्या-429/71-आयुष-2-2015 -11(बी)/2015, दिनॉक 21-4-2015 द्वारा अनुदान संख्या- 34 लेखाशीर्षक-2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- आयोजनेत्तर-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाऍ-अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ-102, होम्योपैथी-05 अन्य व्यय (सहायक अनुदान) 0506 होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड का अनुरक्षण के लिए अनुदान में प्राविधानित धनराशि रू0 200000 (रूपये दो लाख मात्र) के सापेक्ष् रूपये 100000/- (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति की निर्गत की गयी थी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015 दिनॉक 30-3-2015 के अनुक्रम में अनुदान संख्या-34 लेखाशीर्षक-2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- आयोजनेत्तर-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाऍ-अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ -102, होम्योपैथी-05 अन्य व्यय (सहायक अनुदान) 0506- होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड का अनुरक्षण के लिए-२०-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 200000 (रूपये दो लाख मात्र) के सापेक्ष् अवशेष रूपये 100000/- (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि निदेशक, होम्योपैथी के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है।

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल चालू मदों पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई योजनाओं/मदों पर नहीं किया जायेगा।

2- धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व, उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों/संगत शासनादेशों, स्टोर परचेज नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण विद्धमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्कयता के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाए तथा जिन मदों में धनराशि प्राविधानित है, उन्ही मदों में व्यय किया जाए। धनराशि का एक मद से दूसरे मद में व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी।

4- स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए तथा आवंटन आदेश की प्रति समस्त अधिकारियों/शासन को उपलब्ध करायी जाय।

5- उक्त् धनराशि के भुगतान/आवंटन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उपर्युक्त् सन्दर्भित् कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015 दिनॉक 30-3-2015 में उल्लिखित शतों/निर्दशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक शासन/वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

2- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अपने तथा अधीनस्थ स्तरों पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

३- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या- 34 लेखाशीर्षक-2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएॅ-अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ -102, होम्योपैथी-05 अन्य व्यय (सहायक अनुदान) 0506- होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड का अनुरक्षण के लिए-२०-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नाम में डाला जायेगा।

४- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015//बी-1-925/दस-2015-231।2015 दिनॉक 30-3-2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव।

संख्या- 12/2016 (1)/71-आयुष-2-2016/तददिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी द्रितीय),उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा प्रथम/द्रितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी , जवाहर भवन, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी होम्योपैथिक निदेशालय, लखनऊ।
6- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से ,

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in